न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 146/2023/अपील/एल..आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 27.7.23
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

मंग्गू आत्मज सुल्तान जाति मुसलमान निवासी बास्या हेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमंडी जिला कोटा ।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रामबाबू मालव अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 4.4.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 7/2022 (अपील) अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम बउनवान मंग्गू बनाम राज0 सरकार जरिये तह0 रामगंजमण्डी मे पारित निर्णय दिनांक 31.5.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी ने ग्राम सुरेडा की भूमि खसरा नं0 252 की 0.30 है0 किस्म पठार मे पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत अपीलार्थी को नोटिस जारी कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये भूमि से बेदखली व 50/–की शास्ति अधिरोपित कर एक माह (30 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने का दिनांक 5.10.21 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 31.5.2022 से खारिज कर दिये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि निर्णय हरदो मातहत विधि एंव न्याय संचिका मे प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है। पत्रावली मे पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का सत्यापित दस्तावेज उपलब्ध नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवायी, साक्ष्य एंव जवाबदेही का अवसर दिये बिना एक तरफा निर्णय पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के विपरित है। परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रफोर्मा पर साईकलो स्टाइल मे निर्णय पारित किया है इसलिये भी निरस्त होने योग्य है। पटवारी हल्का की एक पक्षीय त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट एंव बयानों को आधार मानकर पाश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि अपीलांट को सुने बिना उसकी अनुपस्थिति मे निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति मे अपीलांट को समुचित सुनवाई एंव साक्ष्य तथा जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा लिया है एंव तावान की राशि जमा करा दी है तथा भविष्य मे अतिक्रमण नही करेगा। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा नही दी गई। गिर0 वारंट आने पर अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 15.12.22 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया तथा नकल प्राप्त होने उपरांत यह अपील पेश

अति. संभागीय आयुक्त

की गई। अतः विलम्ब अवधि क्षम्य उपरांत अपील अवधि मध्य पेश है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा का निर्णय दिनांक 31.5.2022 व परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 5.10.2021 अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय रूप से अपीलांट की अनुपस्थिति मे निर्णय पारित किया है जो परीक्षण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से प्रमाणित होता है। अतः परीक्षण न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कोई सत्यापित दस्तावेज पत्रावली पर नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गोर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित कर अपील को खारिज करने मे त्रुटि की है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस मे आगे बताया कि अपीलांट ने जुर्माने की राशि जमा करा दी है तथा भूमि पर से कब्जा हटा लिया है तथा किसी प्रकार का कोई कब्जा नही है। कब्जा छोड दिया है। उक्त आशय का शपथ माननीय न्यायालय मे हस्तगत अपील पत्रावली मे पेश कर दिया है। अतः अपील स्वीकार कर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय अपास्त किया जावे।

4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है अतः प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन कर निर्णय किये जाने से पूर्व मियाद के बिन्दू को निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा डिले कन्डोन हेतु प्रस्तुत अपील मे धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र भी पेश किया है। रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया है ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने के क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।।

6 हमने पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा मिसल नं0 398/2021 सरकार बनाम मंग्गू धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम सुरेडा की आराजी खसरा नं0 252 की 0.30 है0 किस्म पठार मे पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत अपीलार्थी को नोटिस जारी कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये भूमि से बेदखली व 50/– शास्ति अधिरोपित कर एक माह (30 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दिनांक 5.10.21 को दण्डित किये जाने पर प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट मे न्यायालय जिला कलक्टर कोटा के यहां पेश की गई जिसे जिला कलक्टर कोटा द्वारा तहसीलदार रामगंजमण्डी के उक्त आदेश मे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नही होना मानते हुये दिनांक 31.5.2022 को निर्णय पारित कर अपील को खारिज किया गया। हस्तगत अपील प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि वादग्रस्त आराजी से अपीलांट द्वारा कब्जा छोड दिया है तथा तावान राशि जमा करादी है अतः सजा माफ कर दी जावे। उक्त आशय का स्वयं का शपथ पत्र अपीलांट द्वारा इस अपील मे पेश किया है। चूकि अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोड दिया गया है इसलिये उसके साथ नरमी का रूख किया जा सकता है। यदि अपीलार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी मे उपस्थित होकर एक शपथ पत्र इस बावत प्रस्तुत करे कि वह भविष्य मे किसी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करेगा और अधिरोपित अर्थ दंड की राशि अदा कर देगा तो उसे सिविल करावास के दंड से मुक्त किया जा सकता है।

अति. सं. आयुक्त

7 परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी के निर्णय दिनांक 5.10.2021 मे आंशिक संशोधन किया जाता है। अपीलांट को सिविल करावास की 30 दिन की सजा से मुक्त किया जाता है। शेष निर्णय बदस्तूर रहेगा। सिविल करावास की सजा से मुक्ति तभी मिलेगी जब वह न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी के समक्ष एक शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर दे कि वह भविष्य मे किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करेगा। इसके अतिरिक्त उस पर अधिरोपित अर्थ दंड जमा करा दिया गया हो। तहसीलदार रामगंजमण्डी यह सुनिश्चित कर लें कि विवादित भूमि से कब्जा अपीलार्थी ने हटा दिया हो, तभी उसे सिविल कारावास के दंड से मुक्ति दी जा सकेगी। न्यायालय जिला कलक्टर कोटा का निर्णय दिनांक 31.5.2022 अपास्त किया जाता है।

8 निर्णय आज दिनांक 4.4.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा